अपील सूचना अधिकार संख्या 185/2016 अनवानी राकेश कुमार कौशिक निवासी वार्ड न0 3 सादुलशहर ,जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

14–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राकेश कुमार कोशिक उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राकेश कुमार कौशिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1.माह जनवरी 2016 से जून 2016 तक शहरी व ग्रामीण उचित मूल्य दुकानो को गेंहू आवंटन आदेश (नक्शा) दुकानवार की प्रमाणित प्रति।
2.माह जनवरी 2016 से जून 2016 तक शहरी व ग्रामीण उचित मूल्य दुकानो को अतिरिक्त गेंहू आवंटन आदेश की दुकानदार प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपजिला कलक्टर, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 4341 दिनांक 27.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 02.11.16 को प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्र सं0 3012 दिनांक 10.11.16 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ ने पत्र सं0 3012 दिनांक 10.11.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा माह जनवरी 2016 से जून 2016 तक शहरी व ग्रामीण उचित मूल्य दुकानों को गेहूं आंवटन एवं अतिरिक्त गेंहू आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। आप द्वारा वाछिंत सूचना पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ के उक्त विवरण से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा भी उपस्थित आकर कोई प्रतिरोध नही किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर